



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225024
CG-DL-E-09022021-225024

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942
No. 49]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

(मामला सं. एडी-एसएसआर - 20/2020)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोसीलीन/विट्रीफाइड टाइल्स पोलिस्ट रूफ में अथवा अनपोलिस्ट रूफ में 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण सहित" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के संबंध में।

फा. सं. 7/39/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध निर्णायक समीक्षा जांच के संबंध में अधिसूचना सं. 7/39/2020 डीजीटीआर, दिनांक 22 जनवरी, 2021 के माध्यम से जारी जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में निम्नलिखित सुधार करते हैं :-

2. उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 23 को प्रतिस्थापित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

23. आवेदकों ने 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की जांच अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि, पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारणों से 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 की अवधि पर जांच अवधि के रूप में विचार किया है।

- क. जांच अवधि हाल की अवधि है और उसमें एक पूरा वित्तीय वर्ष शामिल है।
- ख. चूंकि वर्तमान जांच में लघु घरेलू उद्योग शामिल हैं, इसलिए ऐसी जांच अवधि रखा जाना अधिमानी है कि जिसमें उद्योग का लेखांकन वर्ष शामिल हो।
- ग. प्रस्तावित जांच अवधि एक हाल की अवधि है और कानून से संगत है।
- क्षति अवधि में अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February 2021

(Case No. AD-SSR-20/2020)

Subject : Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of “Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption” originating in or exported from China PR – Reg.

F. No. 7/39/2020–DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority hereby makes the following correction in the initiation notification issued vide Notification No. 7/39/2020-DGTR dated 22nd January 2021, in respect of the subject Sunset Review Investigation.

2. The paragraph 23 of the said notification shall be substituted to read as under:

23. *The applicants have proposed period of investigation as 1st April 2019 to 31st March 2020. However, having regard to the explanation to Rule 22 of the Anti-Dumping Rules the Authority has considered 1st April 2019 to 30th September 2020 as the period of investigation for the following reasons.*

a. *The period of investigation is a recent period and covers one full financial year.*

b. *Since the present investigation involves small scale domestic producers, it is preferable to have an investigation period that includes accounting year of the industry.*

c. *The proposed investigation period is a recent period and is consistent with the law.*

The injury period will cover the periods April 2016-March 2017, April 2017-March 2018, April 2018-March 2019 and the POI.”

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority